

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

क० ६-५४/सात/सा-२[बी]/८४

भोपाल, दिनांक ४-२-१९६४

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश।

विषय— प्रदेश में बकफ सम्पत्ति पर अवैध-अतिक्रमण के सम्बंध में।

सेक्टरी, म० प्र० बकफ बोर्ड भोपाल ने शिकायत की है कि जिसको सूचो संलग्न है इसमें बताया कि प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में स्थित बकफ भूमियों पर अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। अवैध ढंग से अतिक्रमण हटाने के सबूथ में विभाग द्वारा समय समय पर निदेश जारी किये गये हैं। कृपया आप अपने जिले में बदि बकफ बोर्ड की भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे तत्काल हटाने के सबूथ में कारगर ढंग से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटायें ताकि अधिक्षय में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

हस्ताक्षर

(बी० एल० कोसग)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

प० क० ६-५४/सात/सा-२/[बी]/८४

भोपाल, दिनांक ४-२-८५

प्रतिलिपि :-

- [१] समस्त कमिश्नर, मध्य प्रदेश
- [२] बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश राजलियर
- [३] सेक्टरी, म० प्र० बकफ बोर्ड, इवाहिमपुरा, भोपाल को सूचनाधं तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित

हस्ताक्षर

अवर सचिव